

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर।

क्रमांक:-प.1ग()का/एसएमई/डीएलबी/19/702

दिनांक 21.1.19

-:आदेश:-:

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 336 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नांकित कर्मचारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन निर्देशानुसार तुरन्त प्रभाव से निम्नानुसार किये जाते हैं:-

क्र.सं.	नाम कार्मिक	पदनाम	कहाँ से	कहाँ को
1	श्री बादलसिंह मेडतिया	कनिष्ठ लिपिक	पाली	कुशलगढ (बांसवाडा)
2	श्री अजयपाल सिंह	फायरमैन	जयपुर	श्रीमाधोपुर
3	श्री सुरेश हरित	वरिष्ठ लिपिक	कैथून	आदेशों की प्रतीक्षा में निदेशालय
4	श्री गिरीश जादू	फायरमैन	बूंदी	कोटा
5	अरुण मेहरा	फायरमैन	अजमेर	कोटा
6	श्री योगेश मेधवाल	वरिष्ठ सहायक	मकराना	परबतसर
7	श्रीमती आरती	सफाई कर्मचारी	पीपाडशहर	बीकानेर
8	श्री संदीप कुमार	सफाई कर्मी	लाडनू	बीकानेर
9	श्री बाबूलाल गुर्जर	फायरमैन	भिवाडी	विराटनगर
10	श्री पवन गुर्जर	फायरमैन	राजसमंद	विराटनगर
11	श्री सुन्दर लाल गुर्जर	लिपिक ग्रेड-1	कोटपूतली	विराटनगर
12	श्री राजपाल बाज्जोलिया	सफाई कर्मचारी	श्रीमाधोपुर	खाटुश्याम
13	श्री हरिसिंह बगडिया	कनिष्ठ लिपिक	श्रीमाधोपुर	खण्डेला
14	श्री महेन्द्र यादव	फायरमैन	श्रीमाधोपुर	खण्डेला
15	श्री गोकुलचंद पूनियां	फायरमैन	श्रीमाधोपुर	खण्डेला
16	श्री अजय कुमार पूनियां	फायरमैन	श्रीमाधोपुर	रींगस
17	श्री अशोक कुमार	फायरमैन	श्रीगंगानगर	श्रीगस
18	श्री संजय शर्मा	च0श्रे0कर्मचारी	खण्डेला	रामगढ-शेखावाटी
19	श्री सुरेश कुमार	सफाई कर्मचारी	श्रीमाधोपुर	खण्डेला
20	श्री शैलेन्द्र तर्क	सफाई कर्मचारी	उदयपुर	ब्यावर
21	श्री राजनन्दनी	सफाई कर्मचारी	पीपाडसिटी	जोधपुर
22	श्री धमेन्द्र किशनाराम	सफाई कर्मचारी	जोधपुर	पिपाडसिटी

नगर पालिका पुष्कर में संविदा पर कार्यरत सेवा निवृत्त कर्मचारी श्री घनश्याम मकवाना, सेवा निवृत्त, कार्यालय अधीक्षक, श्री बसंत नारायण, सेवा निवृत्त, सहायक राजस्व निरीक्षक, श्री बद्री प्रसाद सैन सेवा निवृत्त, वरिष्ठ सहायक, श्री टोडरमल सेवा निवृत्त, वरिष्ठ सहायक, श्री फतेहसिंह गौड, सेवा निवृत्त, सफाई निरीक्षक, श्री रामचन्द्र सेवा निवृत्त कर्मचारी सीवरेज योजना की संविदा अवधि तुरन्त प्रभाव से समाप्त की जाती है।

उक्तानुसार कर्मचारियों को तुरन्त पदस्थापित स्थान के लिये कार्यमुक्त कर शीघ्र विभाग को अवगत करावें।

नोट:-

01. स्थानान्तरित कर्मचारियों के पदनाम में कोई परिवर्तन हो तो तुरन्त विभाग को अवगत करावें अन्यथा व्यक्तिशः जिम्मेदारी होगी।
02. स्थानान्तरित कर्मचारियों का सेवाभिलेख प्राप्त होने के उपरान्त ही इन्हें वेतन का भुगतान किया जावे।
03. यदि कोई कर्मचारी दैनिक वेतनभोगी/संविदा पर नियुक्त हो तो उसका स्थानान्तरण नहीं माना जावे एवं कार्यमुक्त नहीं किया जाकर विभाग को अवगत करावें।
04. यदि कोई कर्मचारी सेवानिवृत्त/किसी अन्य कारणों से सेवा से पृथक हो गया हो तो उसका स्थानान्तरण नहीं माना जावे।
05. वर्ष 2018 में लाटरी के द्वारा नियुक्त सफाई कर्मचारियों का उक्त सूची में नाम हो तो स्थानान्तरण नहीं माना जावे।

(पवन अरोडा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक:-प.1ग()का/एसएमई/डीएलबी/19/703-779 दिनांक 21.11.19

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

01. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर।
02. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर।
03. उप निदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग,
04. महापौर/अध्यक्ष/सभापति/आयुक्त/अधिकाारी/नगर निगम/परिषद/पालिका
05. संबंधित कर्मचारी.....।
06. सुरक्षित पत्रावली।

(डॉ. विरेन्द्र सिंह)

उप निदेशक (प्रशासन)